

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176669

UNIVERSAL
LIBRARY

अत्यन्त परीक्षोपयोगी

सचित्र हिन्दी व्याकरण

(सब यूनिवर्सिटियों की मिडिल, मैट्रिक, हिन्दी रत्न
और हिन्दी भूषण परीक्षाओं के लिये)

लेखक—

साहित्याचार्य, विद्यासागर श्री बृहद्बल “संयमी” शास्त्री,
काव्य-व्याकरण-वेद-वेदान्ततीर्थ B. A. B. O. L. प्रिंसीपल हिन्दी
संस्कृत कालेज तथा सम्पादक “साहित्य” कराची।

रचयिता—

शब्दनिबन्धमाला, अनंगतरंग, आराध्यदेवता, धनंजय विजय, पार-
लौकिक मनोवृत्ति का दुष्परिणाम, वैदिक संध्या, त्रिगर्तोद्धार शतक,
वीरिन्द्र शतक, संस्कृतगीतिनंजूषा, दयानन्द चरित इत्यादि।

Universal Printing House, Khori Garden, KARACHI.

All Rights Reserved.

प्रथम संस्करण

१९३३

मूल्य

१००००

चार आना

साहित्य

Checked 1965

संसार भर में एक मात्र परीक्षोपयोगी सचित्र

हिन्दी मासिक पत्र

- (१) 'साहित्य-मैट्रिक' के विद्यार्थियों के हिन्दी तथा संस्कृत के पत्रों में पास कराने की गारण्टी करता है।
- (२) साहित्य पंजाब यूनिवर्सिटी की 'हिन्दी रत्न' 'हिन्दी भूषण' तथा 'हिन्दी प्रभाकर' के छात्र एवं छात्राओं का विशेष शुभचिन्तक है, सखा है।
- (३) हिन्दी की कोई परीक्षा देने वाला ऐसा न होना चाहिये जिसके पास "साहित्य" न आता हो...वार्षिक शुल्क ५) रु० छै मास का ३) रुपये तीन मास का २) रु० एक प्रति ॥) आने। ३० सितम्बर सन् १९३३ तक ग्राहक बनने वालों के वार्षिक शुल्क ३॥) रु० देना होगा। शीघ्र ही ग्राहक बनिये !
- (४) साहित्य परीक्षार्थियों की नियत पाठ्य पुस्तकों के आधार पर परीक्षोपयोगी सार वस्तु भेंट करता है।
- (५) साहित्य अंग्रेज़ी मास की पहिली तारीख़ के आप के दर्शन किया करेगा।
- (६) परीक्षार्थी देने तथा दिलाने वाले सज्जन अपने 'साहित्य' के ग्राहक बनें तथा बनावें।
- (७) दस ग्राहक बनाने वाले सज्जनों के साहित्य एक वर्ष तक बिना मूल्य मिलेगा और साहित्य कार्यालय की ओर से 'आराध्यदेवता' नाम की अत्यन्त सुन्दर पुस्तक भी भेंट की जायेगी। जो केवल ५ ग्राहक बनावेंगे, उन्हें छै मास तक साहित्य अमूल्य तथा 'आराध्यदेवता' भी दिया जावेगा।

नोट-सुयोग्य एजेण्टों की आवश्यकता है। पत्रव्यवहार कीजिये।

मनेजर—

'साहित्य कार्यालय'

कराची।



परीक्षोपयोगी हिन्दी व्याकरण

- भाषा— पारस्परिक विचारों के समझने तथा समझाने के साधन को कहते हैं। जैसे:- “हिन्दी भाषा.”
- वाक्य— एक विचार पूर्णता से प्रगट करने वाले शब्द-समूह को कहते हैं। जैसे:- “मैं हिन्दी भाषा पढ़ूँगा”
- शब्द— दो या दो से अधिक वर्णों से बने हुये किसी सार्थक रूप को कहते हैं। जैसे :- ‘सुरेन्द्र’ ‘मनुष्य’
- अक्षर— उस मूलध्वनि को कहते हैं जिस के खंड न हो सकें
- स्वर— जिस का उच्चारण स्वतन्त्र हो, और व्यंजनों का सहायक हो। जैसे:- अ, आ इत्यादि ११ स्वर।
- व्यंजन— जिस का उच्चारण परतन्त्र हो अर्थात् स्वरों की सहायता से हो। जैसे:- क्, ख्, ग् इत्यादि।
- अनुस्वार— स्वर या व्यंजन के ऊपर की बिन्दी, (ँ) जिस का उच्चारण स्वर या व्यंजन के पीछे नासिका की सहायता से हो। जैसे:- अं, कं, गं।
- विसर्ग— स्वर या व्यंजन के पीछे की दो बिन्दियाँ (ः) जिसका उच्चारण स्वर या व्यंजन के पीछे कण्ठ की सहायता से हो। जैसे:- अः, कः, यः ।

- लिपि— अक्षरों के लिखने के रूप को कहते हैं। हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
- मात्रा— व्यंजनों में मिल कर, स्वर के बदले हुये रूप को कहते हैं जैसे:-क+आ=का, क+ी=की इत्यादि।
- मूल स्वर— (लघु या ह्रस्व स्वर) जिसकी उत्पत्ति (बनावट) स्वतन्त्र हो, जैसे:-अ, इ, उ, ऋ
- संधिस्वर — (गुरु या दीर्घ स्वर) जिसकी उत्पत्ति (बनावट) स्वरों के मेल से हो, जैसे:-अ+आ=आ, अ+इ=ए इत्यादि।
- एकमात्रिक— जिस के उच्चारण में एक लघु स्वर के समान समय लगे, जैसे:-अ, इ, उ, ऋ .
- द्विमात्रिक— जिस के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगे। जैसे:- आ, ई, ऊ.
- त्रिमात्रिक— (सुत) जिसके उच्चारण में लघु स्वर से तिगुना समय लगे। जैसे:-अ ३, इ ३।
- अनुनासिक— जिसका उच्चारण मुख और नासिका से हो जैसे:-आँ, ईँ, उँ तथा ङ, ञ, ण, न, म, (ँ)
- अननुनासिक— जिसका उच्चारण केवल मुख से हो, जैसे:-अ, इ, उ, ।
- स्पर्श— जिनके उच्चारण में वागिन्द्रिय का द्वार बंद हो, 'क' से 'म' तक २५ अक्षरों को कहते हैं।
- अन्तःस्थ— जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में हो, " य र ल व " अक्षरों को कहते हैं।

- ऊष्म— जिन अक्षरों के उच्चारण में एक प्रकार का घिसाव सा हो ' श ष स ह ' अक्षरों को कहते हैं।
- प्रयत्न— अक्षरों के उच्चारण की रीति को कहते हैं।
- आभ्यन्तर प्रयत्न— ध्वनि पैदा होने से पहिले वागिन्द्रिय की क्रिया को कहते हैं।
- वाह्य प्रयत्न— ध्वनि की अन्तिम क्रिया को कहते हैं।
- संवृत— जिस के उच्चारण में वागिन्द्रिय अच्छी तरह खुली रहे जैसे " अ "
- विवृत— जिसके उच्चारण में वागिन्द्रिय खुली रहे। जैसे " समस्त स्वर "
- स्पृष्ट— स्पर्श और स्पृष्ट एक ही हैं। अर्थात् ' क ' से ' म ' तक २५ अक्षर।
- ईषत्स्पृष्ट— जिन का उच्चारण वागिन्द्रिय के कुछ कुछ बंद रहने से होवे। जैसे:- य, र, ल, व।
- ईषाद्विवृत— जिन का उच्चारण वागिन्द्रिय के कुछ कुछ (खुल रहने से होवे) जैसे:- श, ष, स, ह।
- अघोष— जिन अक्षरों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता हो। जैसे वर्गों के १-२ वर्ण, और श, ष, स
- घोष— जिन अक्षरों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता हो। जैसे:- वर्गों के ३-४-५ वर्ण और य, र, ल, व, ह।
- अल्पप्राण— जिन अक्षरों के उच्चारण में प्राणवायु का कम थर होता हो। जैसे वर्गों के १-३-५ वर्ण य, र, ल, व, ह।

- महाप्रास— जिन अक्षरों के उच्चारण में प्राणवायु का विशेष भ्रम और 'ह' की विशेष ध्वनि भी सुनाई पड़ती हो। जैसे:—घर्षों के २-४ वर्ण और श, ष, स, ह,
- स्थान— जिस अक्षर का जहां से उच्चारण हो उस का वही स्थान होता है। जैसे कंठ, तालु, आदि।
- हरण्य— जिन का उच्चारण कंठ से होता है। जैसे अ आ कवर्ग, ह तथा विसर्ग (:)
- तालव्य— जिन का उच्चारण तालु से होता है। जैसे- इ, ई, चवर्ग, य, श।
- मूर्धन्य— जिन का उच्चारण मूर्धा से होता है। जैसे ऋ-ॠ टवर्ग, र, ष।
- अन्त्य— जिनका उच्चारण ऊपर के दान्तों से जीभ लगा कर होता है। जैसे लृ, लृ, तवर्ग, ल, स।
- प्रोष्ठ्य— जिनका उच्चारण ओठों से होता है। जैसे 'व'
- कण्ठ तालव्य— जिनका उच्चारण कण्ठ और तालु से होता है जैसे ए, ऐ।
- कण्ठौष्ठ्य— जिनका उच्चारण कंठ और ओठों से होता है। जैसे 'ओ, औ'।
- अन्त्यौष्ठ्य— जिनका उच्चारण दांतों और ओठों से होता है। जैसे:- 'व' इत्यादि।
- ज्ञा— किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। जैसे 'किराची, 'पुस्तक'
- यक्तिवाचक— किसी वस्तु के विशेष (स्त्रास) नाम को कहते हैं। जैसे "बृहद्वल संयमी"

जातिवाचक—एक वस्तु के बोध से अनेक वस्तुओं का बोध हो। जैसे- विद्यार्थी, मनुष्य।

भाववाचक—जिस वस्तु में कुछ “भाव-गुण-पन” पाया जावे। जैसे- ‘मनुष्यता’ ‘लड़कपन’

सर्वनाम—संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिये जो शब्द प्रयोग किये जावें। जैसे- वह, मैं, तू, कोई।

पुरुषवाचक—जिस सर्वनाम पद से किसी पुरुष विशेष का बोध हो। जैसे- मैं, तू, वह।

निश्चयवाचक—जिस सर्वनाम पद से किसी निश्चय का बोध हो। जैसे- यह, वह।

अनिश्चयवाचक—जिस से किसी एक निश्चय का बोध न हो। जैसे- ‘कोई’

सम्बन्धवाचक—जिससे दो वाक्यों में कोई सम्बन्ध पाया जाता है। जैसे- जो, सो,

प्रश्नवाचक—जिस से किसी सवाल का होना पाया जाय। जैसे- क्या, क्यों, कौन ?

(नोट— कोई, क्या, क्यों, कौन और आप शब्दों का बहुवचन नहीं होता, “ आप ” शब्द का बहुवचन ‘ लोग ’ शब्द के संयोग से व्यवहार में लाते हैं जैसे ‘ आप लोगों ने ’ ‘ आप लोगों को ’ इत्यादि। “ क्या और क्यों ” शब्दों के समान रूप होते हैं जैसे, क्यों या क्या, काहे को, काहे से, काहे के लिये, काहे से, काहे का-की-के, काहे में-पै-पर। “ कोई शब्द के रूप इस प्रकार होंगे-किसी ने, किसी को,

किसी से, किसी के लिये, किसी से, किसी का-की-के, किसी में-पै-पर । “ कौन ” शब्द के रूप इस प्रकार होंगे—
किस ने, किस को, किस से, किस के लिये, किस से, किस का-की-के, किस में-पै-पर । सर्वनाम शब्दों के संबोधन में रूप नहीं होते । शेष बातें अध्यापक महोदय स्वयं विद्यार्थियों को बतलाने की कृपा करें ।)

लिंग—संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की पुरुषजाति या स्त्रीजाति का बोध हो ।

पुल्लिंग—जिस से पुरुषत्व का बोध हो जैसे “ घोड़ा ”

स्त्रीलिंग—जिस से स्त्रीपन का बोध हो । जैसे “ घोड़ी ”

वचन—जिस रूप से संज्ञा तथा दूसरे शब्दों की संख्या का बोध हो ।

एकवचन—जिस से एक ही वस्तु का बोध हो । जैसे “ लड़का ”

बहुवचन—जिस से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो जैसे “ लड़के ”

कारक—वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरे शब्दों के साथ सम्बन्ध बताया जावे ।

विभक्ति—वाक्य में परस्पर सम्बन्ध बताने वाले चिन्हों को कहते हैं । जैसे- ने, को, से ।

कर्ता—क्रिया करने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द को कहते हैं जैसे “ राम ने कहा ”

कर्म—जो कुछ किया जावे । जैसे “ राम को बुलाओ ”

करण—जिसके द्वारा किया जावे, जैसे 'चाकू से काट डाला'
संप्रदान—जिसके लिये क्रिया की जावे जैसे " राम के
लिये पुस्तकें लाओ "

अपादान—जिस से क्रिया का पृथक् होना पाया जावे जैसे
" घर से चला आया "

संबन्ध—संज्ञा के जिस रूप से किसी दूसरी वस्तु का
सम्बन्ध पाया जावे जैसे " राम का पुत्र है "

अधिकरण—जिस से क्रिया के आधार का बोध हो जैसे
" जल में डूब गया "

संबोधन—संज्ञा के जिस रूप से किसी को चेतावनी दी
जावे या पुकारा जावे जैसे " हे राम ! इधर आ "

(नोट— इस वाक्य में आठों कारकों का समावेश है)

" हे भरत ! राम ने रावण को राण से सीता के
लिये किष्किन्धा से चल कर लक्ष्मण की सहायता से लंका
में मारा । "

विशेष्य—जिस वस्तु की विशेषता बताई जावे, अर्थात् कोई
चीज़ । जैसे " घोड़ा "

विशेषण—जो विशेषता बताई जावे, अर्थात् जैसी चीज़ !
जैसे " काला "

गुणवाचक—किसी संज्ञा या सर्वनाम के लम्बे-चौड़े, नये-
पुराने, देशी-विदेशी, बुरे-भले गुण बताये जावें । जैसे
" भला आदमी "

परिमाणवाचक—जिस से किसी वस्तु का माप बताया जावे।

जैसे- “ सेर भर दूध ”

संख्यावाचक—जिस से किसी वस्तु की विशेषता संख्या द्वारा बताई जावे। “ दो आदमी ”

निर्देशक—जिस में निर्देश किया हो (संकेत) जैसे “ वह पुस्तक ”

संख्यावाचक विशेषण तीन प्रकार का है।

निश्चयवाचक—जिस से निश्चित संख्या का बोध हो।

जैसे- “ दो आदमी ”

अनिश्चयवाचक—जिस से अनिश्चित संख्या का बोध हो।

जैसे- “ सब आदमी ”

प्रत्येकबोधक—जिस में वस्तुओं का पृथक् पृथक् बोध हो।

जैसे “ घर घर ”

निश्चयसंख्यावाचक विशेषण चार प्रकार का है।

गणनावाचक—जिस से निश्चित गिनती का बोध हो।

जैसे- “ दो आदमी ”

क्रमवाचक—जिस से संख्या के क्रम का बोध हो। जैसे-

“ दूसरा आदमी ”

आवृत्तिवाचक—जिस से संख्या की आवृत्ति (गुना) का बोध हो। जैसे “ दुगुने आदमी ”

समुदायवाचक—जिस से संख्या के समुदाय का बोध हो।

जैसे “ दोनों आदमी ”

तुलना या अवस्था—एक वस्तु को किसी से बड़ कर या सब से बड़ कर बताना ।

(१) मूलावस्था या स्वरूपावस्था—एक वस्तु की पहिली अवस्था को कहते हैं जैसे “ अधिक ”

(२) उत्तरावस्था—एक वस्तु को किसी से बड़ कर बताना, जैसे अधिक से “ अधिकतर ”

(३) उत्तमावस्था—एक वस्तु को सब से बड़ कर बताना, जैसे अधिक से “ अधिकतम ”

क्रिया—जिस पर कर्ता का काम निर्भर हो, प्रायः पद के अन्त में ‘ना’ जुड़ने से बनती है, जैसे- खाना, खेलना ।

सकर्मक—कर्म वाली क्रिया को कहते हैं, जैसे- ‘ राम रोटी खाता है ’ यहां ‘रोटी’ कर्म है, इसलिये ‘खाना’ क्रिया कर्म वाली होने से सकर्मक है ।

अकर्मक—बिना कर्म वाली क्रिया को कहते हैं, जैसे ‘ राम बैठता है ’ यहां कोई कर्म नहीं है, इसलिये ‘बैठना’ क्रिया अकर्मक है ।

द्विकर्मक—दो कर्म वाली क्रिया को कहते हैं, जैसे ‘ खाना ’ से ‘ खिलाना ’ (राम लक्ष्मण को रोटी खिलाता है)

त्रिकर्मक—तीन कर्म वाली क्रिया को कहते हैं, जैसे ‘ खाना ’ से ‘ खिलवाना ’ (राम लक्ष्मण को भरत से रोटी खिलावाता है)

कर्मपूरक—वाक्य में कर्म के होते हुए भी यदि क्रिया का भाव

पूरा न हो, उसे पूरा करने के लिये जो शब्द डाले जावें, जैसे- “मैंने उसे समझा ” क्या समझा ? “ धूर्त ” यह कर्मपूरक हुआ ।

कर्तृपूरक—वाक्य में कर्ता के होते हुए भी यदि क्रिया का भाव पूरा न हो, उसे पूरा करने के लिये जो शब्द डाले जावें, जैसे- “ वह बनता था ” क्या बनता था ? “ चालाक ” यह कर्तृपूरक हुआ ।

क्रियाविशेषण—जो क्रियापद की विशेषता (तारीफ़) बताये ।

स्थानवाचक—क्रियापद की विशेषता में किसी स्थानवाची अव्यय का निर्देश किया जावे । जैसे जहां, कहां, यहां, इधर आदि ।

परिमाणवाचक—क्रियापद की विशेषता में किसी माप या तौल को बताने वाले अव्यय पद का निर्देश हो, जैसे थोड़ा, बहुत ।

कालवाचक—क्रिया पद की विशेषता में किसी कालवाची अव्यय पद का निर्देश हो, जैसे अब, तब, जल्दी ।

रीतिवाचक—क्रियापद की विशेषता में किसी रीतिवाची अव्यय पद का निर्देश हो, जैसे- ऐसे, जैसे, कैसे ।

काल—जो क्रिया के होने का समय बतावे ।

वर्तमान काल—जो क्रिया के होने को वर्तमान (मौजूद) काल में बतावे, जैसे “ राम जाता है ”

सामान्यवर्तमान—जो क्रिया साधारण तौर पर वर्तमानकाल में हो रही हो, जैसे “ राम जाता है ”

संदिग्धवर्तमान—जिस क्रिया के वर्तमानकाल के होने में संदेह पाया जाय। जैसे “राम जाता होगा”

भूत—जो क्रिया के होने को किसी बीते हुए समय में बतावे, जैसे “राम गया”

सामान्यभूत—जो क्रिया साधारण तौर पर भूत (बीते हुए) काल में की गई हो, जैसे “राम गया”

आसन्नभूत—जिस क्रिया का होना अभी अभी समाप्त हुआ हो। जैसे “राम गया है”

पूर्णभूत—जिस क्रिया को समाप्त हुए देर हो गई हो। जैसे “राम गया था”

अपूर्णभूत—जिस क्रिया का होना, बीते हुए समय में भी पूरा न होवे। जैसे “राम जाता था”

संदिग्धभूत—जिस क्रिया के बीते होने में भी संदेह पाया जाये। जैसे “राम गया होगा”

हेतुहेतुमद्भूत—जिस क्रिया का होना बीते हुए समय में भी किसी कारण (शर्त) पर निर्भर हो। जैसे “यदि राम गया होता तो ऐसा न होता”

(नोट—सामान्यभूतकालिक क्रिया के रूप में “है” जोड़ने से आसन्नभूत, “था” जोड़ने से पूर्णभूत, “होगा” जोड़ने से संदिग्धभूत और “होता” जोड़ने से हेतुहेतुमद्भूत कालिक क्रिया बन जाती है)

संयुक्तक्रिया—वाक्य में एक ही अर्थ को बताने वाली दो जुड़ी हुई क्रियाओं को कहते हैं। जैसे “राम रोने लगा”

आरम्भबोधक—जिस संयुक्तक्रिया में आरम्भ होना पाया जाये । जैसे “ राम रोने लगा ”

समाप्तिबोधक—जिस संयुक्तक्रिया में कार्य का समाप्त होना पाया जाये । जैसे “ राम रो चुका ”

शक्तिबोधक—जिस में कार्य करने की शक्ति पाई जाये । जैसे “ मैं कर सकता हूँ ”

नित्यताबोधक—जिस में नित्य करते रहने की चेष्टा पाई जाये । जैसे “ मैं पढ़ता रहता हूँ ”

विवशताबोधक—जिस में लाचारी का भाव पाया जावे । जैसे “ मुझे वहां जाना पड़ा ”

आकस्मिकताबोधक—जिस में किसी अचानक भाव की सूचना हो । जैसे “ ज्यों ही मैं घर से निकला दुश्मनों ने घेर लिया ”

नामधातु—किसी नाम से धातु शब्द का बनाया जाना ‘ नामधातु ’ कहलाता है । जैसे— “ लाज ” से लजाना ।

प्रेरणार्थक क्रिया—किसी क्रिया में प्रेरणा का भाव पाया जाय ।

पहिली प्रेरणार्थक—जिस में पहिली प्रेरणा का भाव हो । जैसे खाना से ‘ खिलाना ’

दूसरी प्रेरणार्थक—जिस में दो बार प्रेरणा का भाव हो । जैसे खाना से “ खिलवाना ”

वाच्य—जिस में क्रिया का भाव कर्ता या कर्म या भाव (क्रिया) पर निर्भर हो ।

कर्तृवाच्य--जिस में क्रिया का भाव कर्ता पर निर्भर हो।

जैसे “ राम धोड़े को लाता है ”

कर्मवाच्य--जिस में क्रिया का भाव कर्म पर निर्भर हो।

जैसे “ राम से धोड़ा लाया जाता है ”

भाववाच्य--जिस में क्रिया का भाव क्रिया पर ही निर्भर

हो। जैसे “ लाया जाता है ”

अव्यय--जिसका रूप किसी लिंग, वचन और विभक्ति में न बदले। जैसे “ यथा ”

संयोजक—जो अव्यय पद दो वाक्यों या पदों को संयुक्त

करे, जैसे “ राम और सीता ”

विभाजक—जो अव्यय पद दो वाक्यों या पदों को विभक्त

करे, जैसे “ राम या सीता ”

घातक—जो अव्यय पद मन के भावों को प्रकट करे।

हर्षबोधक—जिस अव्यय पद से हर्ष प्रकट होवे। जैसे

वाह वा ! धन्य !! शाबास !!!

शोककलेशादिबोधक—जिस अव्यय पद से शोकादि प्रकट

हो, जैसे हा ! हायरे ! बापरे !

स्वीकारबोधक—जिस से स्वीकृति पाई जावे, जैसे ठीक

हां ! अच्छा !!

तिरस्कारबोधक—जिस से अपमान प्रकट हो। जैसे, धिक्का

चुप, हट।

विस्मयादिबोधक—जिस से आश्चर्य आदि भाव प्रकट हों

जैसे ओहो ! , ऐं !!

प्रकार—वाक्य की रीति को कहते हैं।

साधारण—जिस वाक्य के वर्णन की रीति सीधीसाधी हो।

जैसे “ महेन्द्र वेद पाठ करने लगा ”

संभाव्य—जिस वाक्य की रीति में संभावना पाई जावे।

जैसे “ शायद आज पानी बरसे ”

प्रवर्तनार्थक—जिस वाक्य में किसी प्रेरणा या आदेशका भाव पाया जाय। जैसे “ तुम्हें यह करना पड़ेगा ”

उपसर्ग—जो किसी शब्द के पहिले लगकर उस के अर्थ में परिवर्तन कर दे। जैसे ‘ हार ’ से ‘ आहार ’ खाना इत्यादि।

प्रत्यय—जो किसी शब्द के अन्त में लग कर उसके अर्थ में परिवर्तन करे। जैसे ‘ करना ’ से ‘ करनेवाला ’

(नोट—हिन्दी, संस्कृत और उर्दू के उपसर्गों तथा सब प्रत्ययों के नाम उदाहरण सहित सचित्र-हिन्दी-व्याकरण में देखिये।)

समास— अर्थानुसार दो शब्दों के मिलाप को कहते हैं।

अव्ययीभाव—जिस में एक शब्द अव्यय अवश्य हो, जैसे “ यथाशक्ति ”

तत्पुरुष—जिस के साधारण अर्थ करने पर जिस कारक का चिन्ह प्रकट हो, उसी कारक के नाम का तत्पुरुष कहलाता है, तत्पुरुष ६ प्रकार का होता है। जिसमें कर्मकारक का चिन्ह प्रकट हो वह ‘ कर्मतत्पुरुष ’ जैसे “ स्वर्गगत ” इसी प्रकार ‘ करणतत्पुरुष ’ जैसे ‘ सूरदासकृत ’

संप्रदानतत्पुरुष जैसे 'हवन-सामिग्री' सम्बन्धतत्पुरुष जैसे 'राजपुत्र' अधिकरणतत्पुरुष जैसे 'वनवास' कर्मधारय—जिस में विशेष्य-विशेषण अथवा उपमानोपमेय के समान ही दोनों शब्द हों, जैसे— "पद-पङ्कज "

द्विगु—जिस में पहिला शब्द संख्यावाची हो, जैसे 'नवरत्न' द्वन्द्व--जिस में दोनों शब्द प्रधान हों, या जोड़ा पाया जाय। जैसे "दाल-रोटी "

बहुव्रीहि— जिस के अर्थ करते समय अन्त में 'वाला' लगे और किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, जैसे 'पीताम्बर' पीले वस्त्र वाला, कौन? "कृष्ण "

नञ्समास--जिस के पहिले 'अ' या 'अन्' हो और उसका अर्थ 'नहीं' होवे, जैसे 'अमर' 'अनुत्साही' सन्धि--नियमानुसार दो शब्दों के मिलाप को कहते हैं।

स्वर सन्धि में यण्, दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयादि के नियम जान लेने चाहिये।

यण्—किसी शब्द के अन्त में ह्रस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ, या लृ हो और उस से परे कोई भी असमान स्वर हो तो क्रम से य्, र्, लृ, व् हो जाता है। जैसे- नीति+अनुसार=नीत्यनुसार।

दीर्घ—किसी शब्द के अन्त में ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, ऋ या लृ हो और उस से परे कोई समान स्वर हो तो क्रम से ा, ी, ू, ृ तथा लृ हो जाता है। जैसे- विद्या+अर्थी=विद्यार्थी।

गुण—ह्रस्व या दीर्घ अ और इ मिल कर (े), अ और उ मिल कर (ी) और अ और ऋ मिल कर 'अर्' हो जाता है। जैसे- सुर+इन्द्र=सुरेन्द्र।

वृद्धि—ह्रस्व या दीर्घ अ से परे ए या ऐ हो तो (ै), ओ या औ हो तो (ौ) और ऋ या ॠ हो तो (आर्) हो जाता है। जैसे- सदा+एव=सदैव।

अयादि—किसी शब्द के अन्त में े ै ी ौ हो और उस से परे कोई भी स्वर हो तो क्रम से अच्, आच्, अच्, आच् हो जाता है। जैसे- नै+अक=नायक।


व्यंजन सन्धि—व्यंजनों से स्वर या व्यंजक का मिलाप करना।

(१) किसी शब्द के अन्त में त् या द् हो उस से परे यदि चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग का पहिला या दूसरा अक्षर हो तो त्-द् को भी उसी वर्ग का पहिला अक्षर और तीसरा या चौथा अक्षर हो तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे- सत्+चित्=सच्चित्, सत्+जन=सज्जन।

(२) त्, द् से परे यदि कोई स्वर या य, र, व हो तो 'द्' ही होगा। जैसे- महत्+पेश्वर्य्य=महदश्वर्य्य, तत्+यथा=तद्यथा।

(३) त्, द् से परे 'ल' हो तो त् या द् को 'ल्' हो जाता है। जैसे- तत्+लीन=तल्लीन।

(४) त्, द् से परे 'श' हो तो त् या द् को च्' और श को 'छ' हो जाता है। जैसे- सत्+शास्त्र=सच्छास्त्र।





एक वचन


- अ-आ (लड़का)
- इ-ई (लड़की)
- उ-ऊ (साधु)
- ओ-औ (गौ)

बहु वचन


- ए (लड़के)
- इयां (लड़कियाँ)
- उओं (साधुओं)
- ओं, ऐं (गौं, गौओं)




विशेषण




क्रियाविशेषण




संयुक्तक्रिया




प्रकार




अव्यय



काल





(५) त्, द् से परे 'ह' हो तो त्, द् को 'द्' और 'ह' को 'ध' हो जाता है। जैसे- उत्+हार=उच्चार।

(६) किसी स्वर या स्वर सहित व्यंजन से परे 'छ' हो तो उससे पहिले इच्छानुसार 'च्' जोड़ सकते हैं। जैसे मुख+छाया=मुखच्छाया

(७) किसी शब्द के अन्त में अनुस्वार 'म्' हो, उससे परे जिस वर्ग का अक्षर होगा, अनुस्वार या 'म्' को उसी वर्ग का पांचवाँ अक्षर हो जायगा। सम्+गम=सङ्गम।

विसर्ग सन्धि—विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मिलाप करना।

(१) विसर्ग (:) से परे च या छ हो अथवा ट या ठ हो अथवा त या थ हो तो विसर्ग को क्रम से श्, प्, स् हो जाता है। जैसे- हरिः+चन्द्र=हरिश्चन्द्र।

(२) विसर्ग (:) से पहिले यदि ह्रस्व 'अ' हो और उस से परे किसी वर्ग का ३-४-५ अक्षर अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग को (ो) हो जाता है। जैसे- मनः+हर=मनोहर।

(३) यदि विसर्ग से पहिले ह्रस्व अ, इ, उ हों और उस से परे 'र' हो तो विसर्ग का लोप होकर अ-इ-उ को दीर्घ ा, ई, २, हो जायगा। जैसे- हरिः+राम=हरीराम

(४) विसर्ग से पहिले अ-आ को छोड़ कर कोई स्वर हो और उस से परे किसी वर्ग का ३-४-५ अक्षर अथवा य, र, ल, व, ह, हो अथवा कोई भी स्वर हो तो विसर्ग को 'र्' हो जाता है। जैसे मुनिः+देव=मुनिर्देव अथवा मुनिः+अहो=मुनिरहो।

(५) विसर्ग से पहिले 'अ' हो और उस से परे भी 'अ' हो तो विसर्ग को (ो) और 'अ' को ऽ ऐसा पूर्वरूप हो जाता है। जैसे रामः+अमर=रामोऽमर।

(६) विसर्ग से पहिले अ-आ हो और उस से परे अ-आ को छोड़ कर कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। रामः+ईश=रामईश।

(७) विसर्ग से परे श, ष, स में से जो हो, विसर्ग को बेसा ही हो जाता है। जैसे- निः+संवेद=निस्संवेद।

वाक्यविग्रह—वाक्यों का परस्पर क्रम, अन्वय और अधिकार समझना 'वाक्यविग्रह' कहलाता है।

साधारण वाक्य—जिस में एक उद्देश्य (कर्ता) और एक विधेय (क्रिया) हो जैसे- 'राम जाता है'

मिश्रित वाक्य—जिस में एक प्रधान वाक्य हो और शेष उस के आश्रित वाक्य हों। जैसे- 'जो लोग परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं'

संयुक्त वाक्य—जिस में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और उनके आश्रित वाक्य भी हों। जैसे- "बच्चा रोता है जब माँ दूध पिलाती है चुप हो जाता है"

संज्ञावाक्य—जो वाक्य संज्ञा के लिये प्रयुक्त हो जैसे- "महेन्द्र शैतान है यह सच नहीं"

विशेषणवाक्य—जो वाक्य दूसरे वाक्य की विशेषता प्रकट करे। जैसे "जो व्यायाम करते हैं जल्दी वृद्धे नहीं होते"

क्रियाविशेषणवाक्य—जो वाक्य किसी क्रिया की विशेषता प्रकट करे। जैसे- "जहां राजमहल थे, वहां जंगल बसे हुये हैं"

नोट—व्याकरण और निबन्ध (Essays) के विषय में विस्तारपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमारी बनाई हुई 'शब्द-निबन्ध-माला' अवश्य पढ़िये !! मैट्रिक, हिन्दी रत्न और हिन्दी भूषण के विद्यार्थियों के लिये अपूर्व पुस्तक है। मूल्य केवल III)

